कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 101 /नक्शा/नि0वि0/जि0पं0/2017–2018 दिनांक 17 अगस्त, 2017

मेसर्स निर्मला पैराडाइज
श्री भैरा सिंह, श्री अशोक कुमार यादव,
श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री सन्तराम
ग्ग्रम धावां
विकास खण्ड–चिनहट
तहसील– सदर
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के आदेश दिनांक 09.08.2017 के परिपालन में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा धावां विकास खण्ड चिनहट तहसील सदर जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 128स व 129 में अपार्टमेन्ट भवन का निर्माण कार्य हेतु कुल कवर्ड एरियां 21932.83 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।

2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।

3–मख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत् लागू रहेगें।

4–प्रतिबन्ध रहेगा कि व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 21932.83 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।

5–भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरकल डिजाइन ड्रांइग बनवाकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगें, अन्यथा की दशा में स्वयं उत्तरदायी होगे।

6–प्रतिबन्ध रहेगा कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय से तीन माह के अन्दर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7–प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन निर्माण कार्य में विधुत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सीवर प्रणाली व्यवस्था, रेनवाटर, विधुत स्ट्रीट की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

8–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्यालय उप/सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ के कार्यालय पंजीकरण संख्या डी 28002446/2017–18 दिनांक 12.06.2017 है, के अनुसार अन्य अवशेष फेज की लेवर सेस धनराशि जमा किये जाने की जिम्मेदारी उक्त फर्म की होगी।

9–प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नही किया जायेगा। भू–स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

प्रतिलिपिः– कार्यालय उपकर निर्धारण अधिकारी/उपकर संग्राहक एवं अपर श्रमायुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र, ए.पी.सेन रोड, लखनऊ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।